10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

54

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निग0 3183-I/16

मूलचंद तनय घासीराम अग्रवाल , फौत वारिस –

1– श्रीमति कुसुम पत्नि मूलचंद अग्रवाल,

2– गिरीश कुमार , दिनेश कुमार पिता मूलचंद अग्रवाल,

3– अर्चना, रश्मि पिता मूलचंद अग्रवाल

सभी निबासी– ग्राम टटम , तह0 एवं जिला छतरपुर, (म0प्र0)

.............आवेदकगण

वनाम

बद्रीप्रसाद तनय स्व0 नारायणदास अरजरिया ,

निबासी– ग्राम टटम, तह0 एवं जिला छतरपुर, (म0प्र0)

.... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय महाराजपुर, जिला छतरपुर द्वारा प्र0क0 369/बी121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 13/07/2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं, जो समय सीमा में ना होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 के नाम से ग्राम टटम, तहसील छतरपुर, में खसरा नंबर 2178 की भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं, उसी से लगकर आवेदकगण की भूमि खसरा नंबर 2172, 2176, 2177, 2179, 2180, एवं 2181 हैं। जिसमें अन्य सहखातेदारों के नाम भी हैं। जिसके सीमांकन बाव्द एक आवेदनपत्र अनावेदक द्वारा प्रभारी तहीलदार महाराजपुर जिला छतरपुर को प्रस्तुत किया गया। जो कि उनके द्वारा 49/अ–12/2008–09 पर पंजीबद्ध करके रानि को सीमांकन बाव्द आदेशित किया गया, रानि द्वारा दिनांक 04/07/2009 को विधि विरूद्ध तरीके से अनावेदक के

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट बाकौर
नि0- 142, मनोरमा कॉलोनी, बाकर
मो.- 9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3183 /1/2016 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **मूलचंद्र व अन्य वनाम बदीप्रसाद**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-2016	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी तहसीलदार महोदय महाराजपुर, जिला छतरपुर द्वारा प्र0क0 369/बी121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 13/07/2015 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राहयता एवं म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र पर तर्क श्रवण किये , बिलंब का कारण समाधानप्रद होने से निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। निगरानी के साथ संलग्न सूची अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 2– यह कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि, रिस्पॉ0 के नाम से ग्राम टटम, तहसील छतरपुर, में खसरा नंबर 2178 की भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उसी से लगकर आवेदकगण की बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमि है। जिसके सीमांकन बाद एक आवेदनपत्र अनावेदक द्वारा प्रभारी तहीलदार महाराजपुर को प्रस्तुत किया गया। जो कि उनके द्वारा 49/अ–12/2008–09 पर पंजीबद्ध करके रानि को सीमांकन बावद आदेशित किया गया, रानि द्वारा दिनांक 04/07/2009 को विधि विरुद्ध तरीके से अनावेदक के खसरा नंबर 2178 का सीमांकन किया गया। जिसमें संहिता की धारा 129 में दिये गये प्रावधानों का पालन किये बगैर उनके द्वारा स्थल पर की गई आपत्तियों को मान्य किये बगैर, एक सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा तथा फील्डबुक, अपर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर तहसीलदार द्वारा आपत्ति के आधार पर उपरोक्त सीमांकन दिनांक 04/07/2009 अपने आदेश दिनांक 21/07/2009 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया। अनावेदक द्वारा पुनः एक आवेदनपत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, कि अधिक्षक भू	

(2)निगरानी प्रकरण क्रमांक 3183 /I/2016

अभिलेख द्वारा पत्र प्रदान किया गया है कि नये ताथा पुराने नक्शे में कोई त्रुटि नहीं है, अतः पूर्व में रानि द्वारा किया गया सीमांकन दिनांक 04/07/2009 पास किया जावे। जिसके आधार पर तहसीलदार महाराजपुर द्वारा प्र0क0 369/बी121/10–11 पंजीबद्ध करके दिनांक 26/10/2010 को आदेश पारित करके निरस्त कर दिया। जिसके बिरूद्व आनावेदक द्वारा एक निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा प्र0क0 73/बी121/2010–11 पर निगरानी दर्ज करके पारित आदेश दिनांक 22/07/2013 के द्वारा इस निर्देश के प्रत्यावर्तित किया गया कि आलोच्य आदेश दिनांक 04/07/2009 के अनुसार नक्शें में की त्रुटि दूर कराकर उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करावे। जिसमें दी गई ब्यवस्था का नाजायज लाभ लेकर तहसीलदार द्वारा बगैर पुनः सीमांकन कराये, बगैर नक्शा की शुद्धता की जांच किये, सीधे दिनांक 13/07/2015 को आदेश पारित करके पूर्व सीमांकन दिनांक 04/07/2009 को स्वीकृत कर दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण आदेशों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रकरण में मूलतः बिवाद खसरा नंअबर 2178 की सीमाओं को लेकर है। आवेदक का कहना है कि जो भूमि सीमांकन में अनावेदक के खसरा नंबर 2178 में रानि द्वारा आवेदकगण के कब्जा की निकाली है, वह उनकी है। सीमांकन विधिवत नहीं किया गया है, त्रुटिपूर्ण नक्शा के आधार पर किया गया है । यह भी बताया कि दोनों पक्षों की भूमि के पास ही खसरा नंबर 2175 मंदिर की भूमि है, अनावेदक यह चाहता है कि आवेदक मंदिर की भूमि में खिसक जाबे तथा अनावेदक को आवेदक के कब्जा की भूमि प्राप्त हो जाबे।

4– मैंने अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी प्र0क0 73/बी121/10–11 में पारित आदेश दिनांक 22/07/2013 का अवलोकन भी किया । जिसमें उनके द्वारा अंतिम पैरा में आदेशित किया गया है कि " आलोच्य आदेश दिनांक 04/07/2009 के अनुसार नक्शा में त्रुटि दूर कराकर उभयपक्षों की उपस्थित में सीमांकन की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण की जाबे।" जिसके पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 13/07/2015 को बगैर नक्शा की विधिवत जांच कराये, बगैर हितबद्व पक्षकारों को सूचनापत्र जारी किये, बगैर मौके पर पुनः सीमांकन कराये, आदेश पारित करके दिनांक 04/07/2009 का सीमांकन स्वीकृत कर दिया। जबकि अपर कलेक्टर द्वारा मौके पर पुनः सीमांकन करने का आदेश दिया था। जिससे उपरोक्त प्रश्नाधीन आदेश हस्ताक्षेप योग्य है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती

(3)निगरानी प्रकरण क्रमांक 3183 /I/2016

है, तहसीलदार महाराजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/07/2015 एवं इसके पूर्व प्रकरण की वाद भूमि खसरा नंबर 2178 के किये गये सभी सीमांकन एवं सीमांकन संबंधी सभी आदेश निरस्त किये जाते हैं। अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को निम्न दिशानिर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि :–

अ– वादभूमियों के बंदोवस्त के पूर्व एवं बर्तमान के नक्शों का मिलान किया जाबे। यदि नक्शा में त्रुटि है तो पहिले नक्शा में सक्षम न्यायालय से सुधार कराया जाबे।

ब– इस बात का समाधान होने पर कि नक्शा त्रुटिपूर्ण नहीं है/सुधार हो गया है तब, स्वयं की अध्यक्षता में प्रशिक्षित पटवारियों/रानि का एक पांच सदस्यों का दल गठित करके, स्वयं स्थल पर उपस्थित रहकर सभी पक्षों की उपस्थित में संहिता की धारा 129 में दिये गये प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुये, निगरानी आवेदनपत्र की कंडिका कमांक दो में दिये गये उभयपक्षों के सभी खसरा नंबरों एवं मंदिर की भूमि के खसरा का एक साथ सीमांकन करके सीमायें कायम कराई जावें। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य